PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 6.3.2025
Page No. 06, Size:(16.03)cms X (11.56)cms.

एनएचआरसी ने एसएसपी से तलब की रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर. जिले के बेनीबाद थाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट की मांग की है. मामला जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जिस संबंध में बेनीबाद थाना कांड संख्या दर्ज है. कांड के सूचक गनौर साह ने बताया कि मेरी बेटी व नतिनी को उक्त कांड के अभियुक्तों ने अपहरण करके मानव तस्करों के हवाले कर दिया है. उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है और उनकी बेटी व नतिनी की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है. उन्होंने बताया कि अभियुक्तगण खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं. कांड के अनुसंधानक ने अनुसंधान करने के बजाये मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. सूचक ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को तलब किया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की है.

Dainik Bhaskar

अपहृत महिला व बेटी नहीं मिलने पर एसएसपी तलब

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/ssp-summoned-for-not-finding-kidnapped-woman-and-daughter-134591714.html

अपहृत महिला और उसकी बेटी की बरामदगी नहीं होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। जिले के बेनीबाद थाने से जुड़े इस मामले में आयोग ने अब तक की गई कार्रवाई की 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मामले को लेकर महिला के पिता गोनौर साह ने अपने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से आयोग से फरियाद की थी। आशंका जताई थी कि उनकी बेटी और नतिनी का अपहरण कर मानव तस्करों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उनकी बेटी व नतिनी की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। अभियुक्तगण खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कांड के अनुसंधान अधिकारी ने जांच करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। थक-हार कर उन्होंने राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की। सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को तलब किया है। जबकि, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

Hindusthan Samachar

एनएचआरसी ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को किया तलब

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2025/3/5/NHRCCALLEDSSPMUZAFFARPURINCOURTMISINGCASE.php

मुजफ्फरपुर, 05 मार्च (हि.स.)।

जिले में बेनीबाद थाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट की मांग की है। मामला जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जिस सम्बन्ध में बेनीबाद थाना कांड संख्या - 85/24 दर्ज है।

कांड के सूचक गनौर साह ने बताया कि मेरी बेटी व नतिनी को उक्त कांड के अभियुक्तों ने अपहरण करके मानव तस्करों के हवाले कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है और उनकी बेटी व नतिनी की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है।

उन्होंने बताया कि अभियुक्तगण खुले-आम घूम रहे है और उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे है। कांड के अनुसन्धानक ने अनुसन्धान करने के बजाये मामले को ठंढे बस्ते में डाल दिया है। थक-हारकर सूचक ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग - अलग याचिका दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को तलब किया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट की मांग किया है।

बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला पुलिस की लापरवाही को स्पष्ट करता है। पुलिस शुरू से ही महिला और उसके बच्चे की बरामदगी के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रही है, जिस कारण महिला और उसके बच्चे की बरामदगी अबतक नहीं हो पायी है। मानवाधिकार आयोग पर मुझे पूर्ण विश्वास है।

हिन्दुस्थान समाचार / मनोज कुमार

Dainik Bhaskar

बेटी के लिए अब मानवाधिकार आयोग जाएगा दंपती:कानपुर में सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे बात

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/kanpur/news/now-the-couple-will-go-to-the-human-rights-commission-for-their-daughter-134589300.html

कानपुर के बिल्हौर में छह महीने से लापता अपनी अपनी बेटी की तलाश कर रहे बुजुर्ग दम्पति को न्याय दिलाने के लिए वकीलों का संगठन उन्हें मानवाधिकार आयोग लेकर जाएगा।

इस मामले में दंपती ने तमाम जतन कर लिए मगर बेटी की कोई जानकारी नहीं मिली। अब वकीलों के सेन्ट्रल बार एसोसिएशन ने पीड़ित दंपती से मुलाकात कर उन्हें मानवाधिकार आयोग तक ले जाने का आश्वासन दिया है।

बुधवार को सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट प्रवीण फाइटर अपने प्रतिनिधिमंडल के एडवोकेट सागर यादव, महेन्द्र प्रसाद शर्मा, ओएन पाण्डेय, रविन्द्र सिंह, श्रीकृष्ण मिश्रा के साथ उत्तरीपुरा बिल्हौर में वृद्ध दम्पति राकेश दुबे, और निर्मला देवी से मिलने पहुंचे। एडवोकेट ने परिवार के साथ बैठक की।

एडवोकेट प्रवीण फाइटर ने बताया कि वृद्ध माता पिता ने चौकी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सब जगह दौड़ लगा ली है।

यही नहीं जब सफलता हाथ नहीं लगी तो विधान भवन के सामने आत्मदाह की भी प्रयास किया। मगर पुलिस ने इस मामले में ठीक से जांच नहीं की। जिसके कारण बेटी आकांक्षा दुबे का कुछ पता नहीं चल सका।

एडवोकेट के मुताबिक उन्होंने वृद्ध दम्पति से मिलने के बाद घटना का पूरा विवरण समझा। इसके बाद क्षेत्रीय थाने से भी इस बारे में जानकारी जुटाई।

एडवोकेट के मुताबिक माता पिता ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं। जिन पर उन्हें संदेह है। जिन लोगों के नाम सामने आए उनसे भी पुलिस गहराई से पूछताछ कर चुकी है मगर कोई परिणाम नहीं मिला।

मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात

एडवोकेट प्रवीण फाइटर ने कहा कि वो पीड़ित माता पिता को मानवाधिकार आयोग लेकर जाएंगे। वहां पर उनके द्वारा केस दाखिल कराएंगे।

एडवोकेट ने कहा की पीड़ित को मुख्यमंत्री से भी मिलवाने का आश्वासन दिया गया है। वहां से पुलिस के लिए दिशा निर्देश लाया जाएगा। ताकी मामले में ठीक से जांच हो सके।

अब जानिए क्या है मामला

उत्तरीपुरा बिल्हौर मान निवादा निवासी राकेश दुबे और पत्नी निर्मला देवी। उनकी बेटी आकांक्षा दुबे (26) बीती 31 अगस्त 2024 को लापता हो गई थी।

वो खेरेश्वर सरैंया घाट दीपदान करने गई थी। लेकिन वहां से घर लौटकर नहीं आई। पुलिस की जांच के दौरान ई-रिक्शा में उसे मंदिर से लौटते हुए सीसीटीवी में देखा गया था।

शिवराजपुर पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ क्राइम ब्रांच को भी अभी तक लापता आकांक्षा का पता नहीं लगा है। तब से छह माह बीत जाने के बाद बुजुर्ग दम्पत्ति लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है।

विधानभवन के सामने आत्मदाह का प्रयास

बुजुर्ग दम्पति के पानी जब सिर से ऊपर हो गया तो उन्होंने 24 फरवरी 2025 को विधानभवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया।

इससे पूर्व उन्होंने 11 फरवरी 2025 को डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया था। 13 दिसंबर 2024 को पुलिस कमिश्नर दफ्तर में दंपति ने केरोसिन डालकर सुसाइड का प्रयास किया था।

8 फरवरी 2025 को पुलिस कमिश्नर दफ्तर में दंपति बेटी का फोटो गले में डालकर पुलिस कमिश्नर दफ्तर में धरने पर बैठे थे।

Samacharnama

Rajasthan में देहशोषण-ब्लैकमेलिंग कांड क्या 'ग्रूमिंग विंग' का हिस्सा? छात्राओं की दर्दभरी दास्तां चीर देगी कलेजा

https://samacharnama.com/city/ajmer/is-the-body-abuse-blackmailing-scandal-in-rajasthan-part-of/cid16320504.htm

By Local Desk | Mar 5, 2025, 18:00 IST

1992 में राजस्थान के अजमेर जिले में एक ऐसी घटना घटी, जिसने अजमेर और पूरे देश को शर्मसार कर दिया। वर्ष 1992 में एक विशेष समुदाय के कुछ युवकों ने अजमेर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्राओं से दोस्ती की और फिर उनका शोषण किया, उनकी अश्लील तस्वीरें लीं और उन्हें ब्लैकमेल किया। इन युवकों ने पहले एक लड़की से दोस्ती की और फिर उसे अश्लील तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल किया और उसे अपने दोस्तों से दोस्ती करने के लिए कहा। इन युवकों ने एक या दो नहीं बल्कि 100 से अधिक कॉलेज छात्रों को अपना निशाना बनाया। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में जब ऐसा ही मामला सामने आया तो लोग इसे भूल नहीं पाए।

यहां, चित्रांकन, डेंटिंग और पेंटिंग में लगे एक विशेष समुदाय के युवक निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बना रहे थे और उन्हें अपनी महिला मित्रों से दोस्ती करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनका यौन शोषण कर रहे थे, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस मामले में पांच पीड़ितों द्वारा विजयनगर थाने में तीन एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं।

फांसी के साथ ही यूपी मॉडल अपनाने की मांग

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मामला शांत होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यूपी मॉडल का अनुसरण करते हुए लोग लगातार जिलों, कस्बों और शहरों को बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों को फांसी देने और आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।

इसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ब्यावर जिले के बिजय नगर थाना पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लुकमान, सोहेल मंसूरी, रेहान मोहम्मद, अफराज, पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, कैफे संचालक श्रवण, कैफे संचालक सांवरलाल जाट, आशिक, करीम और जावेद के अलावा तीन नाबालिग शामिल हैं। एक आरोपी कैफे संचालक सांवरलाल को पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है।

वे मुझे कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करते थे।

मामले की जांच में पता चला कि आरोपी लड़की को स्कूल जाते समय रोकता था और उसे अपने साथ कैफे और होटलों में जाने के लिए मजबूर करता था। वे लड़की को रोज़ा रखने और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। आरोपी इस तरह से लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस

ने बताया कि अपनी करतूत छिपाने के लिए आरोपियों ने लड़की को कुछ आपत्तिजनक और शोषणकारी गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया, जिससे वह पूरी तरह से परेशान हो गई।

शहर में प्रदर्शन और रैलियाँ

ब्यावर जिले के बीजानगर में हुई घटना के बाद लोग लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ ही उत्तर प्रदेश की तरह आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की भी मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर अजमेर और ब्यावर जिले के विभिन्न शहरों में लोगों ने रैलियां निकालकर और बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद बिजयनगर, ब्यावर, केकड़ी, सावर, मसूदा, सरदार, भिनाय, नसीराबाद, किशनगढ़ और अजमेर के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए बंद रखा।

1992 का ब्लैकमेल कांड क्या था?

ब्यावर जिले के विजयनगर में स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण की घटना ने एक बार फिर राजस्थान के अजमेर को शर्मसार कर दिया है। नये जिले के गठन से पहले विजयनगर अजमेर का हिस्सा था, लेकिन अब विजयनगर को ब्यावर जिले में शामिल कर दिया गया है। इस घटना के बाद 1992 में अजमेर दरगाह से जुड़े एक समुदाय विशेष के युवकों ने कॉलेज जाने वाली लड़कियों को उसी तरह ब्लैकमेल किया, जिस तरह विजय नगर में चित्रांकन, वेल्डिंग और डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले एक समुदाय विशेष के युवक करते थे। अजमेर ब्लैकमेल मामले की तरह ही इन युवकों ने एक लड़की से दोस्ती की और फिर उसे ब्लैकमेल कर अपने दोस्तों से दोस्ती करने के लिए मजबूर किया, जिससे स्पष्ट है कि ब्यावर जिले के बीजानगर का मामला भी अजमेर ब्लैकमेल मामले जैसा ही है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं में एक समुदाय विशेष के युवक शामिल थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विजयनगर मामले पर संज्ञान लिया है। शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने विजयनगर पहुंचकर स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन कराने के गंभीर मामले की जांच की। उन्होंने पीड़ित लड़कियों से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली तथा अब तक की गई कार्रवाई पर फीडबैक लिया। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि अभी तक पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जबकि उन्हें तत्काल राहत मिलनी चाहिए थी। इस संबंध में पुलिस प्रशासन से प्रत्येक पीड़ित को 20 हजार रुपये देने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ और आरोपियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य गिरफ्तारियां भी संभव हैं। यह भी कहा गया कि इस मामले में शामिल किशोर अभियुक्तों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रियांक कानूनगो ने यह भी कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि सभी आरोपी एक ही धर्म के थे, जबकि पीड़ित लड़कियां हिंदू समुदाय से थीं। उन्होंने इस घटना को "प्रशिक्षण विंग" का हिस्सा बताया जो व्यवस्थित रूप से लड़कियों को निशाना बनाता है। आयोग के सदस्य ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन आगे की जांच में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

अजमेर ब्लैकमेल मामले में फैसला अगस्त में सुनाया गया था।

देश के सबसे चर्चित ब्लैकमेल मामले में स्पेशल कोर्ट कोर्ट नंबर 2 20 अगस्त 2024 को अपना फैसला सुनाएगा। यह घटना लगभग 33 वर्ष पूर्व 1992 में घटी थी।

Janta Se Rishta

Assam में 72 आरोपियों की गोली मारकर हत्या की निंदा की

https://jantaserishta.com/local/assam/condemned-the-shooting-of-72-accused-in-assam-3873208

SANTOSI TANDI | 5 Mar 2025 4:20 PM

मंगलवार को विपक्षी कांग्रेस ने असम में भाजपा सरकार पर "पुलिस राज" चलाने का आरोप लगाया, जब विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि मई 2021 में हिमंत बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुलिस कार्रवाई में 72 आरोपियों को मार गिराया गया और 220 घायल हुए।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि राज्य में कथित फर्जी मुठभेड़ों पर चल रहे मामले में फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ों का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए।

गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सरमा ने सोमवार को विधानसभा में आधिकारिक कागजात पेश किए, जिसमें खुलासा किया गया कि इस साल 10 मई, 2021 से 23 फरवरी के बीच 256 पुलिस कार्रवाई की गई है। 175 मामलों में मजिस्ट्रेट जांच की गई, लेकिन 81 अन्य में नहीं।

हालांकि, सरकार ने प्रत्येक घटना में संबंधित कानूनों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस मामले दर्ज किए।

आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने कहा कि शीर्ष अदालत, जो पहले से ही असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों पर एक मामले की सुनवाई कर रही है, को नवीनतम आंकड़ों का संज्ञान लेना चाहिए और फैसला सुनाने से पहले आगे की स्वप्रेरणा सुनवाई करनी चाहिए। सैकिया ने पीटीआई से कहा, "सुप्रीम कोर्ट को इन नवीनतम तथ्यों का संज्ञान लेना चाहिए और फैसला सुरक्षित रखने के बजाय मामले को खोलना चाहिए। इस खबर पर स्वप्रेरणा से विचार किया जाना चाहिए।" उन्होंने आरोप लगाया कि आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कानून के शासन के बिना "पूरी तरह से पुलिस राज" है। यह भी पढ़ें: असम ने निजी विश्वविद्यालयों पर सख्त नियम लागू किए, राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य की सैकिया ने कहा, "हम ऐसी स्थिति की कड़ी निंदा करते हैं। हम कई बार विधानसभा में इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब हमेशा टालमटोल वाला रहा है। आरोपियों की इस तरह की हत्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।" सदन में पेश किए गए दस्तावेजों से पता चला कि पुलिस रिमांड में रहने के दौरान 38 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा, हिरासत में रहने के दौरान पुलिस कार्रवाई में 34 और लोगों की जान चली गई, लेकिन पुलिस रिमांड पर भेजे जाने से पहले। इसी तरह, इन घटनाओं में 181 लोग पुलिस रिमांड में रहते हुए गोली लगने से घायल हुए और 40 और लोग पुलिस रिमांड पर भेजे जाने से पहले घायल हुए। यह ठीक से पता नहीं चल पाया है कि इनमें से कितनी घटनाएं पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई थीं और कितनी मुठभेड़ थीं, जब दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। वर्षवार ब्योरा दिखाता है कि 2021 में सबसे अधिक लोग मारे गए, जिस साल सरमा असम के सीएम बने। उस साल रिमांड और रिमांड से पहले पुलिस कार्रवाई के 83 मामलों में कुल 31 लोगों की जान चली गई। साथ ही, 67 लोग घायल हुए, जिनमें 54 पुलिस रिमांड में और 13 रिमांड से पहले घायल हुए।

2021 में 52 मामलों में मजिस्ट्रेट जांच की गई, जबकि 31 घटनाओं में ऐसी कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया। अगले साल 18 आरोपियों को गोली मार दी गई, जिनमें से तीन पुलिस रिमांड से पहले मारे गए। 95 घटनाओं में कुल 79 अन्य घायल हुए, जिनमें से 66 में मजिस्ट्रेट जांच की गई। 2023 में, दस्तावेजों से पता चला कि 13 आरोपियों को गोली मार दी गई, जिनमें से नौ रिमांड से पहले मारे गए। इसके अलावा, 44 घटनाओं में 35 लोग घायल हुए, जिनमें से 35 मामलों में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। 2024 में, 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें से तीन पुलिस रिमांड से पहले मारे गए। 28 मामलों में कुल 35 लोग घायल हुए, जिनमें से 21 घटनाओं में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। चालू वर्ष में 23 फरवरी तक, किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन छह अलग-अलग मामलों में पुलिस रिमांड के दौरान पांच लोग घायल हुए हैं। इनमें से, केवल एक मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दस्तावेजों के एक अन्य सेट से पता चला है कि 2016 से असम में पुलिस कार्रवाई में कुल 136 लोग मारे गए हैं, जब भाजपा राज्य में पहली बार सत्ता में आई थी।

इससे पहले, बड़ी संख्या में गोलीबारी ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि असम पुलिस "ट्रिगर हैप्पी" हो गई है और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत "खुलेआम हत्याओं" में लिप्त है।

25 फरवरी को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में पुलिस मुठभेड़ों की जांच के लिए 2014 के दिशानिर्देशों का विधिवत पालन किया गया था और सुरक्षा बलों को अनावश्यक रूप से निशाना बनाना मनोबल गिराने वाला था।

इस प्रस्तुति के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मई, 2021 और अगस्त, 2022 के बीच असम में 171 कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 56 लोग मारे गए, जिनमें चार हिरासत में थे और 145 घायल हुए थे।

याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें असम पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों पर उनकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को "बहुत गंभीर" करार दिया था और इन मामलों में की गई जांच सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी।

Down To Earth

"छलावा है झारखंड की कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना"

ओसाज इंडिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री से योजना के प्रावधानों को संशोधित करने के साथ ही हरियाणा की तर्ज पर राहत देने की मांग की है

https://hindi.downtoearth.org.in/health/jharkhands-factory-silicosis-beneficiary-assistance-scheme-is-a-hoax

Bhagirath | Published on: 05 Mar 2025, 4:52 pm

सिलिकोसिस मजदूरों के लिए काम कर रहे गैर लाभकारी संगठन ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ असोसिएशन ऑफ झारखंड (ओशाज) इंडिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे ज्ञापन में कहा है कि 2 मई 2022 को सरकार द्वारा तैयार "कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना, 2021" के प्रावधानों को संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि सिलिकोसिस पीड़ितों और सिलिकोसिस मृतकों के आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस योजना को लोग मजदूर विरोधी और छलावा के रूप में देख रहे हैं।

ज्ञापन के अनुसार, यह सच्चाई तब उभरकर सामने आई जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप व जिला कार्यालय के आदेश पर एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया एवं ओशाज इंडिया द्वारा धालभूमगढ़ के मजदूरों की एक्सरे प्लेट की 166 डिजिटल इमेज अस्पताल के अधीक्षक को उनके ईमेल के जरिए 15 नवंबर 2023 को भेजी गई जिसमें से केवल दो मजदूरों कुणाल कुमार और जगन्नाथ पातर को चिन्हित किया जा सका जिनके पास "कारखाना मजदूर" होने का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इन दोनों मजदूरों का कृष्णा एंड कृष्णा उद्योग द्वारा ईएसआई एक्ट के तहत निबंधन कराया गया था लेकिन कंपनी द्वारा ईएसआई कॉरपोरेशन में रकम जमा नहीं कराने पर उन्हें ईएसआई अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं मिल सकी। इस कारण ये मजदूर सरकारी एजीएम अस्पताल में भर्ती हुए थे।

ओसाज के अनुसार, सरकार कारखाना मजदूर होने का प्रमाण रहने के बावजूद योजना के तहत सहायता योजना का लाभ नहीं देना चाहती थी। मेडिकल रिपोर्ट में इसे टीबी लिखा जाता रहा है। मामला मीडिया में आने पर एक चिकित्सक ने सिलिको टीबी लिखा। आरोप है कि रांची रिम्स ने भी कुणाल कुमार को भ्रामक रिपोर्ट दी। रांची से लौटकर जब वह एमजीएम अस्तपाल में भर्ती हुए तब फिर से मेडिकल रिपोर्ट में सिलिको टीबी की जगह रिम्स की तरह भ्रामक रिपोर्ट लिखी गई। 19 सितंबर 2023 को कुणाल की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिलिकोसिस की पुष्टि हुई। मामले को ठंडा करने के लिए उस वक्त अस्पताल में भर्ती जगन्नाथ पातर को भी मेडिकल बोर्ड ने जांच कर सिलिकोसिस से प्रमाणित कर दिया जो दो साल से नहीं किया जा रहा था।

ओसाज इंडिया का कहना है कि योजना की घोषणा के बाद पूर्वी सिंहभूम के सिर्फ कुणाल कुमार के आश्रित को चार लाख रुपए एवं जगन्नाथ पातर को जीवित रहते समय 1 लाख रुपए की मदद दी गई। यह सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों के अभियान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के कारण हुआ, लेकिन मरने के बाद उनके आश्रितों को बकाया रकम अब तक नहीं मिली है। ज्ञापन के अनुसार, जिन मजदूरों के पास कारखाना मजदूर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उनकी जांच ही नहीं की जा रही है।

ओसाज इंडिया के महासचिव समित कुमार कार का कहना है कि यह योजना सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से मुकरने का स्पष्ट उदाहरण है। उनका कहना है कि पुनर्वास योजना बनाते समय योजना के नाम के आगे “कारखाना” लिखा गया है। योजना के नाम ही मजदूर विरोधी क्योंकि 99 प्रतिशत से अधिक सिलिकोसिस से मृतक मजदूरों एवं पीड़ित मजदूरों के पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे कारखाना श्रमिक हैं। इसलिए उन मजदूरों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

ओसाज इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि योजना नाम संशोधित कर “झारखंड कारखाना, खदान एवं असंगठित क्षेत्र सिलिकोसिस चिन्हितकरण एवं लाभुक सहायता योजना” या “झारखंड राज्य सिलिकोसिस चिन्हितकरण एवं लाभुक सहायता योजना” रखा जाए। योजना में रेखांकित परिभाषा में कारखाना को साथ खदान एवं असंगठित क्षेत्र को भी जोड़ा जाए। साथ ही योजना में रेखांकित बिंदु पात्रता व शर्त में कारखाना अधिनियम 1948 के साथ खदान अधिनियम 1952 एवं असंगठित क्षेत्र को भी जोड़ा जाए। इतना ही नहीं पात्रता व शर्त बिंदु 2 में किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नर्सिंग होम, संस्था एवं लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक समूह द्वारा इलाज एवं निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर सहायता योजना का लाभ दिया जाए।

ओसाज इंडिया का कहना है कि योजना में रेखांकित बिंदु “देय सहायता राशि” में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्देशित हरियाणा सरकार की तर्ज पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। इसमें मुख्य रूप से सिलिकोसिस होने पर 5 लाख रुपए की मदद, मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए, सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर को 6,000 रुपए की मासिक पेंशन, सिलिकोसिस से मृतक मजदूर के आश्रित को हर महीने 5,500 रुपए, सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की लड़की की शादी के लिए 75,000 रुपए, सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर अंतिम क्रिया कर्म के लिए 25,000 रुपए जैसी सहायताएं शामिल है। इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाए।

समित कुमार का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में कोल्हान कमिश्नरी में सिर्फ रमिंग मास इकाई के 5,000 से अधिक मजदूर बहुत कम उम्र में मर चुके हैं। इसके फलस्वरूप मजदूरों के बच्चों और विधवाओं को अवर्णनीय कष्ट झेलने पड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी से सरकार और जन प्रतिनिधि मुकर नहीं सकते।